न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–5 / 2022 तारीख रजू:–13.01.2022

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2022 / 6

पीठासीनअधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह सिंह (आर.ए.एस.)

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री केसरा जाति अहीर निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2. शिवजीलाल पुत्र श्री केसरा जाति अहीर निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
3. जसराम पुत्र श्री केसरा जाति अहीर निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादी

उपस्थित–

वकील वादी:– श्री लोकेश कुमार सीठा, एडवोकेट

प्रतिवादी वकील:– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:–22.12.2025

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट

–: निर्णय :–

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि

❖ साबिक आराजी खसरा नम्बर 2339 / 2385 / 4 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम ईसरदा को वादीगण के पिता केसरा पुत्र बजरंगा ने तत्कालीन खातेदार बहादुर सिंह पुत्र सवाईसिंह जी राजपूत से जरिये विक्रय पत्र सन् 1977 में खरीदी की है। तभी से उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

❖ वादीगण के पिता अपने जीते जी उक्त भूमि को काश्त किया वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात से उक्त भूमि पर वादीगण काबिज है। काश्त करते चले आ रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:13 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि का नामांत[illegible]पुर द्वारा दिनांक 29.10.77 को वादीगण के [illegible]गा के हक में भरक[illegible]क किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

❖ उक्त भूमि पर जिस स्थान पर वादीगण का सन् 1977 से कब्जा काश्त व काबिज है उसके नये नम्बर भू. प्रबंध विभाग ने 4440 एवं 4425 बनाये है। लेकिन भू–प्रबंध विभाग ने साबिक खसरा नंबर 2339/2385/4 रकबा 5 बीघा का, को कोई नवीन रिकार्ड तैयार नहीं किया है। और वादीगण की खरीदशुदा भूमि को वादीगण की खातेदारी में दर्ज न करके वादीगण को अपनी खरीदशुदा भूमि की खातेदारी से वंचित किया गया है।

❖ भू–प्रबंध विभाग ने वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि को खातेदारी में दर्ज नहीं करते हुए हाल खसरा नंबर 4440 एवं 4425 को सिवायचक दर्ज कर दिया इसी कारण वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा दायर करना आवश्यक हुआ।

❖ भू–प्रबंध विभाग द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार नवीन रिकार्ड तैयार नहीं किया है। यही वजह है कि वादीगण को राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती के लिए न्यायालय की शरण में आना आवश्यक हुआ।

❖ वादीगण के पिता केसरा पुत्र बजरंगा अहीर की मृत्यु दिनांक 23.2.2015 को ग्राम ईसरदा में हो चुकी है इसलिए यह वादपत्र मृतक के वारिसान की ओर से प्रस्तुत है। वादीगण को अपने कब्जे की भूमि खसरा नंबर 4440 रकबा 1.12 खसरा नंबर 4425 रकबा 0.45 है में से 0.13 है0 की भू प्रबंध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज करने का ईल्म दिनांक 16.12.21 को वादी संख्या दो द्वारा नामांतकरण की नकल लेने के वास्ते तहसील में गया तब मालूम चला इससे पूर्व वादीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि को सिवायचक कर देने की कोई जानकारी नहीं थी। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह उदघोषणा इस अमर की प्राप्त करे कि साबिक खसरा नंबर 2339/2385/4 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम ईसरदा में स्थित उक्त भूमि के स्थान पर खसरा नंबर 4440 रकबा 1.12 है0 खसरा नंबर 4425 रकबा 0.45 है0 में से 0.13 है0 भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है और नामांतकंरण संख्या 1282 ग्राम ईसरदा का राजस्व रिकार्ड में अमल कराने के अधिकारी है एवं राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण की खातेदारी में दर्ज करते हुए खसरा नंबर 4440 रकबा 1.12 है0 खसरा नंबर 4425 है0 रकबा 0.45 है0 में से 0.13 है. कुल 1.25 है0 भूमि को सिवायचक से हजफ कर वादीगण के खातेदारी में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

❖ प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कि जाना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में खसरा नंबर 4440 एवं 4425 सिवायचक दर्ज है और प्रतिवादी वादीगण के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही करने पर आमदा है इसलिए प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण के विरूद्व धारा 91

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

एल.आर. एक्ट की कार्यवाही नहीं करे।एवं वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की माने मजामहत कर वादीगण के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करे।

❖ वादीगण की खरीदशुदा उक्त भूमि को सिवायक कर दिया गया एवं नामान्तकरण सं. 1282 ग्राम ईसरदा का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किया गया इस कारण वादीगण को यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

❖ दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण नामान्तकरण सं. 1282 ग्राम ईसरदा में दज्र साबिक खसरा नंबर 2339/2385/4 रकबा 5 बीघा की जगह हाल खसरा नम्बर 4440 रकबा 1.12 है. खसरा नम्बर 4425 रकबा 0.45 है. में से 0.13–1.25 है0 वाके ग्राम ईसरदा के खातेदार काश्तकार है।

❖ राजस्व रिकार्ड में दर्ज सिवायक भूमि खसरा नम्बर 4440 रकबा 1.12 एवं खसरा नम्बर 4425 रकबा 0.45 है. में से 0.13 है0 वाके ग्राम ईसरदा को वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर राजकीय खाता में से हलफ किया जावे एवं नक्शासीट में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह खसरा नम्बर 4440 रकबा 1.12 है0 एवं 4425 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम ईसरदा में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम पैराकार सरकार जारी किये गये।

3. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2022/1263 दिनांक 18.05.2022 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है जो निम्नानुसार है–

➢ साबिक दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम ईसरदा के साबिक खसरा नंबर 2339/2385/4 रकबा 5 बीघा प्रार्थीगण के पिता केसरा पुत्र बजरंगा अहीर द्वारा वर्ष 1977 में तत्कालीन खातेदार बहादुरसिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत से भूमि क्रय की थी, जिसका अमल ना0सं0 1282 दिनांक 29.10.77 को तस्दीक होने पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं. 2030–33 में हुआ।

➢ मुताबिक राजस्व रिकार्ड व नक्शासीट मौके पर प्राथीगण वर्तमान में खसरा नम्बर 4440/1.13 किस्म बारानी 1 व खसरा नम्बर 4425/0.45 किस्म बंज डमें से 0.13 है0 भूमि पर काबिज है जो कि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक लगानी दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण के पिता वर्ष 1977 से साबिक खसरा नंबर 2339/2385/4 रकबा 5 बीघा के खातेदार के रूप में काबिज थे व वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

प्रार्थीगण काबिज है। मौका व रिकार्ड के अनुसार भू प्रबंध विभाग द्वारा अपना रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल तहरीर करते समय सही मौका निरीक्षण नहीं किया गया। इस कारण जो ख0सं0 2339/2385/4 रकबा 5 से बने होने चाहिये थे उन्होंने साबिक खसरा नंबर 233 मीटर से निर्मित करते हुए सिवायचक भूमि के रूप दर्ज कर दिया गया। जबकि यह प्रार्थीगण की क्रय शुदा भूमि है।

- प्रार्थीगण वर्तमान में ख.नं. 4440/1.13 व 4425/0.45 में से 0.13 है0 काबिज है जो मुताबिक रिकार्ड सिवायचक है इस कारण विगत वर्षों में प्रार्थीगण के विरूद्व की गई धारा 91 (अतिक्रमण) की रिपोर्ट कानून सम्मत हैं।

- प्रार्थीगण के पिता केसरा पुत्र बजरंगा यादव द्वारा तत्कालीन खातेदार बहादुर सिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत से ग्राम के साबिक आराजी खसरा नंबर 2339/2385/4 रकबा 5 बीघा भूमि क्रय की गई थी जिसका नामान्तकरण सं. 1282 दिनांक 29.10.1977 को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सवंत् 2030–33 में अमल हुआ, जो निरन्तर जमाबंदी संवत् 2043–46 तक चला आता रहा परन्तु भू–प्रबंध विभाग द्वारा नवीन राजस्व रिकार्ड तैयार कर प्रस्तुत किया उसमें मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नंबर 2339/2385/4 रकबा 5 बीघा का कोई नवीन खसरा नंबर नहीं बनाया और कब्जे काश्त की भूमि को साबिक खसरा नंबर 2 मी से निर्मित करते हुए नवीन सिवायचक ख.नं. 4440/1.13 है. व 4425/0.45 है. बनाये है।

- अतः कब्जानुसार नामा.सं. 1282 दिनांक 29.10.77 में अंकित साबिक ख.नं. 2339/2385/4 रकबा 5 बीघा का व हाल खसरा नंबर 4440/1.13 है0 व 4425/0.45 है. में से 0.13 है. का प्रार्थीगणों के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने की अभिशंषा की है।

4. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक साक्ष्य पेश किये हैं

- <u>पी0डब्ल्यू0–01</u>:– कन्हैयालाल पुत्र स्व केसरा अहीर निवासी ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- <u>पी0डब्ल्यू0–02</u>:– शिवजीलाल पुत्र केसरा अहीर निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- <u>पी0डब्ल्यू0–03</u>:– जसराम पुत्र स्व0 केसरा अहीर निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

- **पी0डब्ल्यू0—04**:— मांगीलाल पुत्र नारायण माली निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- **पी0डब्ल्यू0—05**:— हीरालाल पुत्र मूलचंद माली निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- **प्रदर्श पी0—01**:— नामान्तरकरण संख्या 1282 दिनांक 29.10.1977

- **प्रदर्श पी0—02**:— जमाबंदी संवत् 2030—2033

5. प्रतिवादी (तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा) को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये, अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये गये।

6. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा दौराने बहस वादपत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/जवाब अनुसार ग्राम ईसरदा के साबिक खसरा नंबर 2339/2385/4 रकबा 5 बीघा प्रार्थीगण के पिता केसरा पुत्र बजरंगा अहीर द्वारा वर्ष 1977 में तत्कालीन खातेदार बहादुरसिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत से भूमि क्रय की थी, जिसका अमल ना0सं0 1282 दिनांक 29.10.77 को तस्दीक होने पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं. 2030—33 में हुआ। जिसकी पुष्टि प्रदर्श— 01 व प्रदर्श— 02 से होती है। साथ ही तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड व नक्शासीट के मौके पर प्राथीगण वर्तमान में खसरा नम्बर 4440/1.13 किस्म बारानी 2 व खसरा नंबर 4425/0.45 किस्म बंज डमें से 0.13 है0 भूमि पर काबिज है जो कि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक लगानी दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण के पिता वर्ष 1977 से साबिक खसरा नंबर 2339/2385/4 रकबा 5 बीघा के खातेदार के रूप में काबिज थे व वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज है। मौका व रिकार्ड के अनुसार भू प्रबंध विभाग द्वारा अपना रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल तहरीर करते समय सही मौका निरीक्षण नहीं किया गया। इस कारण जो ख0सं0 2339/2385/4 रकबा 5 से बने होने चाहिये थे उन्होंने साबिक खसरा नंबर 233 मीटर से निर्मित करते हुए सिवायचक भूमि के रूप दर्ज कर दिया गया। जबकि यह प्रार्थीगण की क्रय शुदा भूमि है। भू—प्रबंध विभाग द्वारा नवीन राजस्व रिकार्ड तैयार कर प्रस्तुत किया उसमें मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नंबर 2339/2385/4 रकबा 5 बीघा का कोई नवीन खसरा नंबर नहीं बनाया और कब्जे काश्त की भूमि को साबिक खसरा नंबर 2 मी से निर्मित करते हुए नवीन सिवायचक ख.नं. 4440/1.13 है. व 4425/0.45 है. बनाये है। स्वतंत्र गवाह पी0डब्ल्यू—03 व पी0डब्ल्यू—04 ने भी वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Vgens
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

लगभग 46–47 वर्षों से कब्जा काश्त होना बताया है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी वादीगण की कयशुदा एवं कब्जेकाश्त भूमि को भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलत तरीके से सिवायचक दर्ज होने की पुष्टि की है। दौराने बहस वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से साबिक खसरा नंबर 2339/2385/4 के भू–प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर नहीं बनाये जाने की पुष्टि होती है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की अभिशंषा के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम ईसरदा के खसरा नंबर 4440 रकबा 1.12 है0 व खसरा नंबर 4425 रकबा 0.45 है0 में से 0.13 है0 वाके ग्राम ईसरदा की वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे एवं नक्शाशीट में तरमीम की जावे, एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 4440 रकबा 1.12 है0 एवं खसरा नंबरी 4425 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम ईसरदा के कब्जे काश्त में किसी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी है। निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:13 IST
Reason: SelfAttested